पंचायत निगरानी संख्या : 361/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 361/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/223

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल 2. बगदी पत्नी भूराराम जाति कुमावत निवासी खीमेल तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 69/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 22 को निरस्त करवाने बाबत्।

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 16.04.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत **मिसल संख्या 69/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 22** जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार परिवादी श्री जगदीश माली की शिकायत पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा दो अतिरिक्त विकास अधिकारियों की कमेटी गठित कर ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा जारी पट्टो की जांच करवाई गई। कमेटी द्वारा की गई जांच में श्रीमती बगदी पत्नी श्री भूराराम जाति कुमावत निवासी खीमेल को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई:–

क. अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है क्योंकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराये जाने का इच्छुक है वहां पुश्तैनी मकान का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मिसल संख्या 69/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 22 को जारी किया गया है। जांच के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर मकान नहीं बना हुआ था। इसलिए ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 361/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया गया जो नियमों के प्रतिकुल होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गाम पंचायत खीमेल द्वारा **मिसल संख्या 69/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा** न. **22** की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निम्नानुसार जवाब पेश किया :–

1. पद संख्या एक निगरानी याचिका में उल्लेखित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थीया की जानकारी के अनुसार ग्राम खीमेल निवासी जगदीश माली आदतन शिकायती है एवं ब्लेकमेल कर रकम की वसूली करता है। अप्रार्थीया को जगदीश माली की तथाकथित शिकायत एवं जांच की जानकारी नहीं है।

   क. अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 69/2022–23 के जरिये विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर पट्टा नम्बर 22 दिनांक 06.12.2022 को जारी किया गया था, की सीमा तक कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया का मकान पुश्तेनी होने एवं जर्जर होने की वजह से कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जिस हेतु जर्जर मकान को ध्वस्त करवा कर मौके पर से मलबा माह जनवरी 2023 में हटा दिया था। अप्रार्थीया द्वारा जर्जर मकान का मलबा हटाये जाने के बाद तथाकथित जांच अधिकारियों के द्वारा जांच के दौरान मौके पर मकान पाये जाने की स्थिति दृष्टिगोचर होने की संभावना ही नहीं थी। जिस कारण से अप्रार्थी का पट्टा खारिज करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अप्रार्थीया अन्य पिछडा वर्ग की महिला होने से आर्थिक तौर से गरीब होने की वजह से नया मकान मौजुदा परिस्थिति में बनाने से अक्षम है एवं कोई दृर्घटना घटित नहीं हो जिससे अप्रार्थीया ने जर्जर मकान को ध्वस्त करवा मलबा हटाया था। अप्रार्थीया जर्जर मकान को पट्टा कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान हटाना चाहती थी परन्तु ग्राम पंचायत की कार्यवाही में बाधा पैदा नहीं हो जिससे अप्रार्थीया ने पट्टा प्राप्त करने के बाद जर्जर मकान का मलबा हटवाया था। ग्राम पंचायत खीमेल के मौजुदा सरपंच रमेश जी की राजनैतिक दुश्मनी के कारण झूठी शिकायत के आधार पर अपूर्ण असमय जांच कर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जिससे भी निगरानी काबिल खारिज है। अतः निगरानी याचिका का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका अविलम्ब खारिज फरमावें।

बहस के दौरान प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रारम्भिक

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 361/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

आपत्ति बाबत् म्याद निवेदन किया गया कि हस्तगत निगरानी अवधि बाधित है। एवं निगरानीकर्ता द्वारा उक्त देरी के उपशमन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानान्तर्गत पृथक से आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः म्याद के बिन्दु पर हस्तगत निगरानी को खारिज किया जाए।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीपत्र में ही उल्लेखित है कि हस्तगत निगरानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली द्वारा गठित दो अतिरिक्त विकास अधिकारियों की जाँच समिति के रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उक्त जाँच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्रीमान सम्भागीय आयुक्त पाली को प्रेषित करते हुए ज़रिए आदेश क्रमांक/जिपपा/2023/4295 दिनांक 08.02.2024 से प्रार्थी विकास अधिकारी बाली को जैर आलोच्य पट्टो के संबंध में सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। विकास अधिकारी पं.स. बाली द्वारा 21.03.2024 को हस्तगत निगरानी दर्ज करवाई गई। अतः अवधि बाधित होने का प्रश्न हस्तगत निगरानी के संबंध में सिद्ध नहीं होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पट्टे की प्रमाणित प्रति निगरानीकर्ता द्वारा पेश नहीं की जाने से ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड से जांच कर मूल रिकॉर्ड का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमती बगदी के पक्ष में दिनांक 06.12.2022 को जैर आलोच्य पट्टा संख्या 22 (मिसल संख्या 69/2022-23) बमाप 880 वर्गफूट राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त नियम 157(1) पुराने घरों के विनियमितकरण को उपबन्धित करता है एवं उक्त पट्टे की शर्त संख्या 01 में अंकित भी किया हुआ है कि पूर्वोक्त आवंटिति का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है। किन्तु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली द्वारा गठित दो सदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट(प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ सलंग्न) के पैरा संख्या 01 में स्पष्ट अंकन है कि " ग्राम पंचायत द्वारा बुक संख्या 185 में पट्टा संख्या 22 (मिसल संख्या 69/2022-23) दिनांक 06.12.2022 को श्रीमती बगदी पत्नी श्री भूराराम निवासी खीमेल को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया लेकिन मौके पर जाँच के दौरान श्रीमती बगदी का का कोई मकान बना हुआ नहीं पाया गया।"

इस संबंध में पट्टाधारी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानी के जवाब में अंकित किया है कि मकान जर्जर हाने से जनवरी 2023 में उक्त मकान को ध्वस्त कर मलबा हटा दिया गया था। किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 का उक्त तर्क पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल संख्या 69/2022-23 में सलंग्न एवं तीन पंचो द्वारा प्रस्तुत भूमि निरीक्षण प्रपत्र में उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का मकान या घर निर्मित होने का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 361/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

इस प्रकार यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि जैर आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व जैर निगरानी भूखण्ड पर नियम 157 (1) की पूर्वापेक्षा अनुरुप नियमों के लागु होने से पूर्व के पचास वर्षों अथवा पचास वर्षों के दौरान कोई मकान निर्मित नहीं था। अप्रार्थी ने ऐसा कोई फोटोग्राफ, विद्युत बिल आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है, जो उनके जवाबपत्र में अंकित तर्क की पुष्टि कर सके।

इस प्रकार ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती बगदी के पक्ष में पुराने घर के विनियमितिकरण के रुप में नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी कर विधिक त्रुटि कारित की गई है, क्यों कि नियम लागु होने के पचास वर्ष पूर्व अथवा पचास वर्षों के दौरान निर्मित मकान संबंधि कोई भी रिपोर्ट मिसल पर उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार से जारी ज़ैर निगरानी पट्टा 'प्रारम्भतः ही शून्य' (ab initio void) है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी बाली द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा श्रीमती बगदी पत्नी श्री भूराराम जाति कुमावत के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 22 (मिसल संख्या 69/2022–23) बमाप 880 वर्गफूट दिनांक 06.12.2022 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत खीमेल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जैर आलोच्य भूखण्ड के संबंध में राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 150 एवं 151 के प्रावधानानुसार निलामी प्रक्रिया प्रभाम में लावे ताकि ग्राम पंचायत को अधिकतम राजस्व प्राप्ति हो सके।

विकास अधिकारी प.स. बाली को निर्देश दिए जाते है कि जैर–निगरानी पट्टे से संबंधित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध ग्राम पंचायत को राजस्व हानि कारित करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित कर न्यायालय हाजा को तीस दिन की अवधि के भीतर पालना प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner